न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 113/2015–16

श्री सोमनाथ व अन्य —बनाम— श्रीमती कुसुमलता

उपस्थित : श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदात्री : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा देहराखास, परगना केन्द्रीयदून
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–53/2014–15 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम कुसुमलता बनाम सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 08–09–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने तहसीलदार, देहरादून के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि खाता संख्या–2102 मौजा देहराखास पर प्रार्थिनी के पिता स्व0 छोटेलाल का नाम अवैध रूप से छोड़ दिया गया है, जबकि खाता खतौनी संख्या–278 फसली वर्ष 1386 से 1391 पर प्रार्थिनी के पिता छोटेलाल व उसके ताऊ रामस्वरूप का नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थिनी कुसुमलता द्वारा खाते में उसके पिता का नाम दर्ज करते हुए उसका नाम विरासत के आधार पर दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई। तहसीलदार, देहरादून ने प्रार्थना पत्र पर उप राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 26–08–2015 प्राप्त की गई जिसे सँस्तुति सहित सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून को प्रेषित किया गया। तहसीलदार की आख्या के आधार पर सहायक कलेक्टर के न्यायालय में वाद दर्ज हुआ जिसपर आदेश दिनांक 08–09–2015 पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित करते हुए वाद में अग्रिम तिथि नियत की गई। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के आदेश दिनांक 08–09–2015 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके साथ निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2011 प्रस्तुत किया गया और यह इस वाद में निगरानीकर्ता द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया व उक्त मूल वाद की कार्यवाही आज भी लम्बित है। धारा–229बी का वाद योजित किये जाते समय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्टे प्रदान नहीं किया गया। वाद में वादी का साक्ष्य हो चुका है और प्रतिवादी का साक्ष्य प्रारम्भ होना था। इसी बीच वादी

द्वारा दिनांक 24–04–2015 को विधि विरूद्व एक स्टे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिसपर निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाते हुए दिनांक 15–06–2015 को आदेश पारित करते हुए विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने, निर्माण, कय–विकय व भूमि स्वरूप परिवर्तन किये जाने हेतु निषेद्याज्ञा जारी कर दी गई जिसके विरूद्व राजस्व परिषद के समक्ष निगरानी संख्या–148/2014–15 सोमनाथ बनाम कुसुमलता आदि योजित की गई जो अभी विचाराधीन है। घोषणात्मक वाद के लम्बित रहते हुए घोषणात्मक वाद के तथ्यों को छुपाकर प्रतिउत्तरदाता कुसुमलता ने गलत तथ्यों के आधार पर धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर आख्या प्राप्त कर बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून को जाँच आख्या प्रेषित की गई। सहायक कलेक्टर ने दिनांक 08–09–2015 को विधि विरूद्व अपोषणीय कार्यवाही को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर निगरानीकर्ता को नोटिस प्रेषित किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। चूँकि वर्तमान प्रकरण में घोषणात्मक वाद पहले से ही लम्बित है इसलिए धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम का वाद पोषणीय नहीं है और दुरस्ती वाद की कार्यवाही पूर्व से चल रहे वाद के आधार पर निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत निगरानी जिस आदेश दिनांक 08–09–2015 के विरूद्व योजित की है वह आदेश कारण बताओं नोटिस से सम्बन्धित है और उसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है और वह अन्तिम नहीं हुआ है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–219 के अन्तर्गत केवल तीन आधारों पर ही निगरानी योजित की जा सकती है। **(क)** ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, या **(ख)** ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है, या **(ग)** अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है। प्रश्नगत आदेश जिसे निगरानी में चुनौती दी जा रही है को पारित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को पूर्णतया प्राप्त है इसलिए निगरानी पोषणीय नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था तो भले ही उक्त आदेश गलत है तो भी निगरानी पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभी निगरानीकर्ता को अपनी आपत्तियाँ/साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और जिन आधारों पर आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं वह आधार अभी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रश्नगत निगरानी केवल वाद को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती कुसुमलता ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की दुरस्ती हेतु अपने पिता का नाम एवं उसी कम में विरासत के आधार पर अपना नाम अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र तहसीलदार, देहरादून को प्रस्तुत किया और तहसीलदार ने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पर जाँच आख्या प्राप्त करते हुए उसे निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून को प्रेषित किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने तहसीलदार, देहरादून की आख्या दिनांक 03–09–2015 के आधार पर वाद दर्ज किया गया एवं पक्षों को नोटिस जारी करने तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु तिथि नियत की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर के प्रश्नगत आदेश दिनांक 08–09–2015

के प्रथमदृष्टया अवलोकन से ही यह दृष्टिगत होता है कि यह आदेश अन्तर्वर्तीय आदेश है और अन्तर्वर्तीय आदेश के विरूद्व निगरानी विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। मैंने अवर न्यायालय की वाद पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 28–09–2015 कागज संख्या–14/1 का भी अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्ता द्वारा वाद में आपत्ति दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्तागणों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप निगरानी को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाना न्यायोचित नहीं है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 08–09–2015 अन्तर्वर्तीय आदेश है और अन्तर्वर्तीय आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त न होने एवं अन्तर्वर्तीय आदेश के विरूद्व प्रस्तुत होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 5/2/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।